

निर्णय बड़जलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी  
सांगोद जिला कोटा

वाद संख्या 120/2022

1. रूकमणीबाई उर्फ कौशल्याबाई पुत्री काशीराम उर्फ कास्या पत्नी रामकरण जाति माली निवासी ग्राम सूण्डक्या तहसील सांगोद हाल निवासी शिव कोलोनी अन्ता तहसील अन्ता जिला बारां।
2. रघुनाथ प्रसाद उर्फ छोटया पुत्र काशीराम उर्फ कास्या जाति माली निवासी ग्राम सूण्डक्या तहसील सांगोद हाल निवासी केसर बाग पुलिस लाइन कोटा
3. नटीबाई बेवा स्व० रामप्रताप उर्फ रामरतन जाति माली
4. महेन्द्र सुमन पुत्र स्व० रामप्रताप उर्फ रामरतन जाति माली
5. अनिता कुमारी सुमन पुत्री स्व० रामप्रताप उर्फ रामरतन जाति माली
6. मनीषा सुमन पुत्री स्व० रामप्रताप उर्फ रामरतन जाति माली  
निवासीगण ग्राम सूण्डक्या तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवासी ग्राम बडवा तहसील अन्ता जिला बारां राजस्थान ।
7. कमलेशबाई पुत्री स्व० रामप्रताप उर्फ रामरतन पत्नी नरेन्द्रकुमार सुमन जाति माली निवासी ग्राम सूण्डक्या हाल निवासी चौनपुरा बंबूलिया तह० बारां जिला बारां राजस्थान । —वादीगण—

**बनाम**

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।

**वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 209 आर टी एक्ट**


—:: निर्णय ::—

उपस्थिति :-

1. श्री चेतनप्रकाश सुमन (वकील वादी)
2. परोकार सरकार।


प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीगण ने इस न्यायालय में एक वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि :-

- यह कि वादीगण के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम बायडा पटवार हल्का कुन्दनपुर तहसील सांगोद जिला कोटा के खाता स० नई 20 के खसरा न० 227 की 2.23 हेक्टर कुल 1 किता की कुल 2.23 हेक्टर आराजी व माल ग्राम सूण्डक्या पटवार हल्का कुन्दनपुर तहसील सांगोद जिला कोटा के खाता स० नई 11 के खसरा न० 32 की 0.06 हेक्टर कुल 1 किता की 0.06 हेक्टर आराजी व खाता स० नई 92 के खसरा न० 58 की 1.45 हेक्टर कुल किता 1 की कुल 1.45 हेक्टर आराजी व खाता स० नई 61 के खसरा न० 28 की रकबा 0.11 हेक्टर, खसरा न० 29 की 0.12 हेक्टर, खसरा न० 296 की 0.91 हेक्टर, खसरा न० 297 की 0.99 हेक्टर, खसरा न० 298 की 0.07 हेक्टर, खसरा न० 299 की 0.27 हेक्टर, खसरा न० 300 की 0.41 हेक्टर, खसरा न० 301 की 0.41 हेक्टर, खसरा न० 59 की 0.04 हेक्टर, खसरा न० 60 की 0.10 हेक्टर कुल किता 10 की कुल 3.43

  
उपखण्ड अधिकारी  
सांगोद जिला कोटा

हेक्टर आराजी व खाता स० नई 63 के खसरा न० 112 की 0.05 हेक्टर, खसरा न०172 की 0.01 हेक्टर, खसरा न०20 की 0.06 हेक्टर, खसरा न० 333 की 0.04 हेक्टर कुल 4 किता की कुल 0.16 हेक्टर आराजी व खाता स० नई 93 के खसरा न० 170 की 0.90 हेक्टर, खसरा न० 171 की 0.92 हेक्टर, खसरा न०173 की 0.88 हेक्टर कुल किता 3 की कुल 2.88 हेक्टर आराजी रिथत है।

- यह कि वाद पत्र की मद न०1 में वर्णित आराजीयात वादीगण के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी है, जिसे वादीगण आपसी सहमति से मौके पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज अपने अपने हिस्से अनुसार आराजी को आपसी सहमति से संयुक्त रूपसे हिस्से अनुसार काविज काश्त करते चले आ रहे हैं। वर्तमान में भी वादीगण ने राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार आराजीयात को काविज काश्त है।
- यह कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी में निहित अपने हिस्से की आराजी पर किसान क्रेडिट कार्ड जारी करवाने हेतु राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त की, तो वादीगण की जानकारी में आया कि वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में वादीगण का नाम गलत दर्ज हो रहा है, जिसमें वादी न०1 का नाम माल ग्राम सून्डक्या तहसील सांगोद के खाता स० नई 61 के राजस्व रेकार्ड में सही नाम रूकमणी पुत्री कास्या दर्ज हो रहा है, तथा अन्य शेष आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में वादी न०1 का नाम कौशल्यावाई पुत्री कास्या दर्ज हो रहा है, जबकि कौशल्यावाई वादीनी का घर का बोलता नाम है, साथ ही वादी न०1 के पिता का वास्तविक नाम काशीराम है, जिसे भी राजस्व रेकार्ड में त्रुटिवश अपभ्रंश नाम कास्या दर्ज किया गया है, जबकि वास्तविकता में वादी न०1 का वास्तविक नाम रूकमणीवाई व पिता का नाम काशीराम है, इसी प्रकार वादी न०2 का नाम माल ग्राम सून्डक्या तहसील सांगोद के खाता स० नई 11 के राजस्व रेकार्ड में सही नाम रघुनाथ प्रसाद पुत्र कास्या दर्ज हो रहा है, तथा अन्य शेष आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में वादी न०2 का नाम छोट्या पुत्र कास्या दर्ज हो रहा है, जबकि छोट्या वादीन 02 का घर का बोलता नाम है, साथ ही वादी न०2 के पिता का वास्तविक नाम काशीराम है, जिसे भी राजस्व रेकार्ड में त्रुटिवश अपभ्रंश नाम कास्या दर्ज किया गया है, जबकि वास्तविकता में वादी न०2 का वास्तविक नाम रघुनाथ प्रसाद व पिता का नाम काशीराम है, जो सही व सत्य है।
- यह कि वादी न० 3 ता 6 के पति / पिता स्व० रामप्रताप का स्वर्गवास होने के उपरान्त पटवारी हल्का महोदय से वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में फौती इन्तकाल खोलने व रामप्रताप के हिस्से की आराजी वादीन०3ता6 के नाम दर्ज करने की कहने पर उनके द्वारा बताया गया, कि राजस्व रेकार्ड में रामप्रताप का नाम रामरतन दर्ज हो रहा है, जिसके कारण नाम में भिन्नता होने से पटवारी हल्का महोदय ने इन्तकाल खोलने से मना कर दिया तथा न्यायालय से आदेश लाने के बाद ही इन्तकाल खोलने की कहकर इन्तकाल खोलने से मना करने पर वादीगण द्वारा पटवारी हल्का महोदय से रामप्रताप जी का घर का नाम रामरतन होने व वास्तविक नाम रामप्रताप होने बाबत


  
उपखण्ड अधिकारी  
सांगोद जिला जंटा

निवेदन करने के बाद भी पटवारी हल्का महोदय द्वारा इन्तकाल खोलने से मना कर दिया है। जबकि रामप्रताप व रामरतन दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है, जिसका वास्तविक नाम रामप्रताप है, जो सही व सत्य है।

- यह कि वादीगण के कब्जे काश्त की वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकार्ड मे नाम मे भिन्नता होने से व इन्तकाल नही खोलने के कारण वादीगण को अपने हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी का विकास कार्य करवाने व बैंक आदि से ऋण प्राप्त करने व सरकार से मिलने वाली अनुदान व सहायता राशि प्राप्त करने से वंचित होना पड रहा है। साथ ही वादीगण द्वारा गलत नाम को दुरस्त करने की कहने पर पटवारी हल्का द्वारा दुरस्ती करने से भी नाम कर दिया है, और न्यायालय से आदेश लाने की कहने से वादीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है, कि वह माननीय न्यायालय मे वाद प्रस्तुत करके घोषणा इन्द्राज दुरस्ती की डिकी प्राप्त करे, जिसके लिए माननीय न्यायालय में उक्त वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।


- यह कि वाद कारण अंतिम बार आज से एक माह पूर्व वादीगण को वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकार्ड मे गलत नाम दर्ज होने की जानकारी होने के बाद पटवारी हल्का महोदय से राजस्व रेकार्ड में नाम दुरस्ती करने की कहने पर उनके द्वारा दुरस्ती करने से मना करने व स्व० रामप्रताप का गलत नाम दर्ज होने से वादीगण कम उताव के हक मे इन्तकाल खोलने से मना करने पर माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे वाद कारण उत्पन्न हुआ है। वादग्रस्त आराजी माल ग्राम सून्डक्या तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित होने से माननीय न्यायालय को उक्त वाद का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार दोनो प्राप्त है।

- अतः वादीगण के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम बायडा पटवार हल्का कुन्दनपुर तहसील सांगोद जिला कोटा के खाता स० नई 20 के खसरा न० 227 की 2.23 हेक्टर कुल 1 किता की कुल 2.23 हेक्टर आराजी व माल ग्राम सून्डक्या पटवार हल्का कुन्दनपुर तहसील सांगोद जिला कोटा के खाता स० नई 11 के खसरा न० 32 की 0.06 हेक्टर कुल 1 किता की 0.06 हेक्टर आराजी व खाता स० नई 92 के खसरा न० 58 की 1.45 हेक्टर कुल किता 1 की कुल 1.45 हेक्टर आराजी व खाता स० नई 61 के खसरा न० 28 की रकबा 0.11 हेक्टर, खसरा न० 29 की 0.12 हेक्टर, खसरा न० 296 की 0.91 हेक्टर, खसरा न० 297 की 0.99 हेक्टर, खसरा न० 298 की 0.07 हेक्टर, खसरा न० 299 की 0.27 हेक्टर, खसरा न० 300 की 0.41 हेक्टर, खसरा न० 301 की 0.41 हेक्टर, खसरा न० 59 की 0.04 हेक्टर, खसरा न० 60 की 0.10 हेक्टर कुल किता 10 की कुल 3.43 हेक्टर आराजी व खाता स० नई 53 के खसरा न० 112 की 0.05 हेक्टर, खसरा न० 172 की 0.01 हेक्टर, खसरा न० 20 की 0.06 हेक्टर, खसरा न० 333 की 0.04 हेक्टर कुल 4 किता की कुल 0.16 हेक्टर आराजी व खाता स० नई 93 के खसरा न० 170 की 0.90 हेक्टर, खसरा न० 171 की 0.92 हेक्टर, खसरा न० 173 की 0.86 हेक्टर कुल किता 3 की कुल 2.68 हेक्टर आराजी के राजस्व रेकार्ड

  
उपखण्ड अधिकारी  
सांगोद जिला कोटा

में दर्ज वादीन 01 का सही नाम रूकमणी पुत्री कास्या दर्ज हो रहा है, के अनुसार अन्य शेष आराजीयात के राजस्व रेकार्ड मे वादी न0 1 का नाम कौशल्याबाई पुत्री कास्या दर्ज हो रहा है, जबकि कौशल्याबाई वादीनी का घर का बोलता नाम है, साथ ही वादी न01 के पिता का वास्तविक नाम काशीराम है, जिसे भी राजस्व रेकार्ड मे त्रुटिवश अपभ्रंश नाम कास्या दर्ज किया गया है, को दुरस्त किया जाकर रूकमणीबाई पुत्री काशीराम दर्ज किया जावे इसी प्रकार वादी न02 का नाम माल ग्राम सून्डक्या तहसील सांगोद के खाता सं0 नई 11 के राजस्व रेकार्ड मे सही नाम रघुनाथ प्रसाद पुत्र कास्या दर्ज हो रहा है, के अनुसार अन्य शेष आराजीयात के राजस्व रेकार्ड मे वादी न02 का नाम छोट्या पुत्र कास्या दर्ज हो रहा है, को दुरस्त किया जाकर रघुनाथ प्रसाद पुत्र काशीराम दर्ज किया जावे. इसी प्रकार वादी नं. 3 ता 6 के पति / पिता स्व० रामप्रताप का स्वर्गवास होने के उपरान्त पटवारी हल्का महोदय से वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में फौती इन्त्काल खोलने व रामप्रताप के हिस्से की आराजी मे रामरतन के स्थान पर रामप्रताप मानते हुए वादी नं. 3 ता 6 को स्व० रामरतन के वारिसान होने से रामरतन के हिस्से की आराजी का वादी नं. 3 ता 6 को खातेदार कृषक घोषित किया जावे, उपरोक्तानुसार घोषणा की डिक्री पारित की जाकर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद की जाकर इन्द्राज दुरस्ती की जावे। इस आशय की घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती की डिक्री वादीगण के हक में व प्रतिवादी के विरुद्ध जारी फरमायी जावे।


उक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तलबी प्रतिवादी पेशकार सरकार तहसीलदार सांगोद की ओर से जवाब मय मौका रिपोर्ट इस आशय का प्रस्तुत हुआ कि वादीगण रूकमणी बाई रघुनाथ प्रसाद वगै० द्वारा प्रस्तुत बाद के कम में पटवार मंडल कुन्दनपुर के राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादीगण का नाम ग्राम बायडा के खाता सं0 20 में रामरतन पुत्र कास्या छोट्या पुत्र कास्या व कौशल्या बाई पुत्री कास्या दर्ज है तथा ग्राम सून्डक्या के खाता सं० 11 में कौशल्या बाई पुत्री कास्या व छोट्या पुत्र कास्या, खाता सं० 53 में रूकमणी बाई पुत्री कास्या छोट्या पुत्र कास्या रामरतन पुत्र कास्या खाता सं० 61 में रूकमणी बाई पुत्री कास्या छोट्या पुत्र कास्या रामरतन पुत्र कास्या खाता सं० 92 में छोट्या पुत्र कास्या रूकमणी पुत्री कास्या रामरतन पुत्र कास्या व खाता सं० 93 में छोट्या पुत्र कास्या, रूकमणी पुत्री कास्या, रामरतन पुत्र कास्या दर्ज है। उपरोक्त वाद के क्रम में ग्राम सून्डक्या के मजमेआम में जानकारी प्राप्त की गई। उपस्थित ग्रामवासियों ने बताया कि कौशल्या व रूकमणी एक ही महिला है। जिसका वास्तविक नाम रूकमणी बाई है। छोट्या व रघुनाथ प्रसाद भी एक ही व्यक्ति है। जिनका वास्तविक नाम छोट्या नहीं होकर रघुनाथ प्रसाद है तथा रामरतन व रामप्रताप एक ही व्यक्ति था जिसकी मौत हो चुकी है जिसका वास्तविक नाम रामप्रताप था। खाते में दर्ज तीनों खातेदारों के पिता का वास्तविक नाम काशीराम था जो कि गांव में बोले जाने वाला नाम कास्या है। ग्रामवासियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कौशल्या बाई का वास्तविक नाम रूकमणी बाई पुत्री काशीराम छोट्या का वास्तविक नाम रघुनाथ प्रसाद पुत्र काशीराम व रामरतन का वास्तविक नामत रामप्रताप पुत्र काशीराम है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
सांगोद जिला कोटा

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेजात एवं जवाब सरकार का गहनतम अवलोकन करने के उपरान्त दावा वादीगण स्वीकार करना उचित समझती हूं।

अतः दावा वादीगण स्वीकार कर आदेश प्रसारित किये जाते हैं कि माल ग्राम बायडा पटवार हल्का कुन्दनपुर तहसील सांगोद जिला कोटा के खाता स० नई 20 के खसरा न० 227 की 2.23 हेक्टर कुल 1 किता की कुल 2.23 हेक्टर आराजी व माल ग्राम सून्डक्या पटवार हल्का कुन्दनपुर तहसील सांगोद जिला कोटा के खाता स० नई 11 के खसरा न० 32 की 0.06 हेक्टर कुल 1 किता की 0.06 हेक्टर आराजी व खाता स० नई 92 के खसरा न० 58 की 1.45 हेक्टर कुल किता 1 की कुल 1.45 हेक्टर आराजी व खाता स० नई 61 के खसरा न० 28 की रकबा 0.11 हेक्टर, खसरा न० 29 की 0.12 हेक्टर, खसरा न० 296 की 0.91 हेक्टर, खसरा न० 297 की 0.99 हेक्टर, खसरा न० 298 की 0.07 हेक्टर, खसरा न० 299 की 0.27 हेक्टर, खसरा न० 300 की 0.41 हेक्टर, खसरा न० 301 की 0.41 हेक्टर, खसरा न० 59 की 0.04 हेक्टर, खसरा न० 60 की 0.10 हेक्टर कुल किता 10 की कुल 3.43 हेक्टर आराजी व खाता स० नई 53 के खसरा न० 112 की 0.05 हेक्टर, खसरा न० 172 की 0.01 हेक्टर, खसरा न० 20 की 0.06 हेक्टर, खसरा न० 333 की 0.04 हेक्टर कुल 4 किता की कुल 0.16 हेक्टर आराजी व खाता स० नई 93 के खसरा न० 170 की 0.90 हेक्टर, खसरा न० 171 की 0.92 हेक्टर, खसरा न० 173 की 0.86 हेक्टर कुल किता 3 की कुल 2.68 हेक्टर आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी 01 के त्रुटिपूर्ण नाम 'रुकमणी पुत्री कास्या' व 'कौशल्याबाई पुत्र कास्या' के स्थान पर वास्तविक नाम 'रुकमणीबाई पुत्री काशीराम' दर्ज किया जावे तथा वादी न० 02 के त्रुटिपूर्ण नाम 'छोट्या पुत्र कास्या' के स्थान पर 'रघुनाथ प्रसाद पुत्र काशीराम' दर्ज किया जावे तथा उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में 'रतनलाल पुत्र कास्या' के नाम अंकित हिस्से का वादी कं. 3 लगायत 6 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। तदनुसार अन्तिम डिक्री मुर्तिब की जावे।

निर्णय आज दिनांक 17/3/26 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(श्रीमती सपती कुसीरी)  
उपखण्ड अधिकारी  
सांगोद जिला कोटा  
सांगोद

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई  
(आर्डर 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दीवानी)  
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा  
बड़जलास - श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.)

वाद संख्या 120/2022


1. रूकमणीबाई उर्फ कौशल्याबाई पुत्री काशीराम उर्फ कास्या पत्नी रामकरण जाति माली निवासी ग्राम सूण्डक्या तहसील सांगोद हाल निवासी शिव कोलोनी अन्ता तहसील अन्ता जिला बारां।
2. रघुनाथ प्रसाद उर्फ छोटया पुत्र काशीराम उर्फ कास्या जाति माली निवासी ग्राम सूण्डक्या तहसील सांगोद हाल निवासी केसर बाग पुलिस लाइन कोटा
3. नटीबाई बेवा स्व० रामप्रताप उर्फ रामरतन जाति माली
4. महेन्द्र सुमन पुत्र स्व० रामप्रताप उर्फ रामरतन जाति माली
5. अनिता कुमारी सुमन पुत्री स्व० रामप्रताप उर्फ रामरतन जाति माली
6. मनीषा सुमन पुत्री स्व० रामप्रताप उर्फ रामरतन जाति माली  
निवासीगण ग्राम सूण्डक्या तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवासी ग्राम बडवा तहसील अन्ता जिला बारां राजस्थान ।
7. कमलेशबाई पुत्री स्व० रामप्रताप उर्फ रामरतन पत्नी नरेन्द्रकुमार सुमन जाति माली निवासी ग्राम सूण्डक्या हाल निवासी चौनपुरा बंबूलिया तह० बारां जिला बारां राजस्थान । -वादीगण-

**बनाम**


राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।

**वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 209 आर.टी.एक्ट**


तारीख फैसला दिनांक ..... यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ..... बहाजरी वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू परोकार सरकार मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि ... दावा वादीगण स्वीकार कर आदेश प्रसारित किये जाते हैं कि माल ग्राम बायडा पटवार हल्का कुन्दनपुर तहसील सांगोद जिला कोटा के खाता स० नई 20 के खसरा न० 227 की 2.23 हेक्टर कुल 1 किता की कुल 2.23 हेक्टर आराजी व माल ग्राम सूण्डक्या पटवार हल्का कुन्दनपुर तहसील सांगोद जिला कोटा के खाता स० नई 11 के खसरा न० 32 की 0.06 हेक्टर कुल 1 किता की 0.06 हेक्टर आराजी व खाता स० नई 92 के खसरा न० 58 की 1.45 हेक्टर कुल किता 1 की कुल 1.45 हेक्टर आराजी व खाता स० नई 61 के खसरा न० 28 की रकबा 0.11 हेक्टर, खसरा न० 29 की 0.12 हेक्टर, खसरा न० 296 की 0.91 हेक्टर, खसरा न० 297 की 0.99 हेक्टर, खसरा न० 298 की 0.07 हेक्टर, खसरा न० 299 की 0.27 हेक्टर, खसरा न० 300 की 0.41 हेक्टर, खसरा न० 301 की 0.41 हेक्टर, खसरा न० 59 की 0.04 हेक्टर, खसरा न० 60 की 0.10 हेक्टर कुल किता 10 की कुल 3.43 हेक्टर आराजी व खाता स० नई 53 के खसरा न० 112 की 0.05 हेक्टर, खसरा न० 172 की 0.01 हेक्टर, खसरा न० 20 की 0.06 हेक्टर, खसरा न० 333 की 0.04 हेक्टर कुल 4 किता की कुल 0.16 हेक्टर आराजी व खाता स० नई

  
उपखण्ड अधिकारी  
सांगोद जिला कोटा

93 के खसरा न0 170 की 0.90 हेक्टर, खसरा न0 171 की 0.92 हेक्टर, खसरा न0 173 की 0.86 हेक्टर कुल किता 3 की कुल 2.68 हेक्टर आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी 01 के त्रुटिपूर्ण नाम 'रुकमणी पुत्री कास्या' व 'कौशल्याबाई पुत्र कास्या' के स्थान पर वास्तविक नाम 'रुकमणीबाई पुत्री काशीराम' दर्ज किया जावे तथा वादी न02 के त्रुटिपूर्ण नाम 'छोट्या पुत्र कास्या' के स्थान पर 'रघुनाथ प्रसाद पुत्र काशीराम' दर्ज किया जावे तथा उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में 'रतनलाल पुत्र कास्या' के नाम अंकित हिस्से का वादी कं. 3 लगायत 6 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। निज \_\_\_\_\_ मुबलिंग \_\_\_\_\_ बाबत \_\_\_\_\_ खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह \_\_\_\_\_ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक \_\_\_\_\_ का अदा करे। सब मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज तारीख 17/3/26 को जारी की गई।

  
(श्रीमती सपना कुमारी)  
उपखण्ड अधिकारी  
सांगोद।

मुद्दे	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकुमनामा		
बाबत इजराय हुकुमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

  
(श्रीमती सपना कुमारी)  
उपखण्ड अधिकारी  
सांगोद।